न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– राजेश वर्मा (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 23/2017

(आर सी एम एस नम्बरः– 2017/00131)

उनवान प्रकरण

1–महेन्द्र सिंह उम्र करीब 45 वर्ष । पुत्रगण श्री नथोली जाति जाटव निवासीगण
2–माताप्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष । ग्राम निधैराखुर्द्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....अपीलान्टस

बनाम

1–तहसीलदार सैपऊँ जिला धौलपुर
2–भवूती पुत्र स्व. नथोली । समस्त जातिगण जाटव
3–होरीलाल पुत्र स्व. नथोली ।
4–सरला पुत्री स्व. नथोली । समस्त निवासीगण ग्राम निधैराखुर्द्द
5–भगवानदेई पुत्री स्व. नथोली ।
6–लालमती पत्नी स्व. नथोली । तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं0 657 आदेश दिनांक 28.04.1986 बांके ग्राम निधैराखुर्द्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री कृष्णकान्त शर्मा एडवोकेट
रेस्पो0सं0 1 की ओर से :–श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पो0सं0 2 की ओर से :– श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट
रेस्पो0सं03लगा06 की ओर से :– श्री सन्तोष कुमार गुर्जर एडवोकेट

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

निर्णय दिनांक : 16.01.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बरान 908, 913, 961, 962, 978, 981, 982, 987, 1010, 1260, बांके ग्राम निधेराखुर्द्द तहसील सैपऊ में 1/2 भाग की अभिलिखित खातेदार काश्तकार भीमा वेवा हरफूल जाति जाटव निवासी ग्राम निधैराखुर्द्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर थी। भीमो उर्फ भीमा का बिना औलाद के निधन हो चुका है। भीमा का निधन नथोली के जीवनकाल में

Scanned by CamScanner

हुआ था। भीमा का पति हरफूल तथा नथोली का पिता जाहरिया आपस में खास भाई थे अर्थात नथोली हरफूल का भतीजा था। भीमो उर्फ भीमा के लाऔलाद निधन होने के बाद नथोली स्व0 भीमा का सबसे नजदीकी वारिस एवं उत्तराधिकारी था। नथोली एवं स्व0 भीमो के जीवनकाल में ही नथोली के भाई प्रभू का बिना औलाद के निधन हो चुका है। प्रभू का विवाह कलावती के साथ हुआ था कलावती का भी बिना औलाद के निधन हो चुका है। भीमो के निधनोपरांत उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट संख्या–1 ने स्व0 कलावती से साज करके अपीलान्ट एवं स्व0 नथोली की बैक पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 657 तारीखी 28.4.1986 नथोली के पक्ष में पारित करने के बजाय कलावती के पक्ष में तस्दीक कर दिया जिससे असन्तुष्ठ होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी भीमा पर उसके पति हरफूल से प्रकांत हुई थी तथा भीमा के लाऔलाद निधनोपरांत अपीलाधीन विवादित आराजी कानूनन हरफूल के भतीजे नथोली पर विरासतन नामान्तरित होनी चाहिऐ थी। नथोली के बजाय कलावती के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के पिता नथोली को तथा अपीलान्ट को न तो सूचित किया गया और ना ही सुनवाई का मौका दिया गया लिहाजा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश मनमाना व विधि विरूद्व होने से काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश में हरफूल के सिजरा को अंकित किया गया तथा हरफूल की पत्नि भीमो का बिना औलाद फौत अंकित किया गया था फिर भी प्रभू व कलावती को हरफूल के सिजरा में अंकित कर कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। लिहाजा अपीलाधीन नामान्तकरण बिना जांच पडताल के तथा अवैध रूप से पारित किया गया था जो काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश के कॉलम नम्बर–9 में अपीलांट के पिता नथोली पुत्र जाहारिया का अंकन करके अपीलान्ट के पिता नथोली के नामांकन को अवैध रूप से काट दिया गया तथा नथोली के नाम को काटकर नथोली के स्थान पर कलावती बेवा प्रभू कौम चमार जो कि नथोली के भाई की बेवा थी, के पक्ष में अवैध रूप से नामान्तकरण आदेश पारित कर दिया जो कि तथ्यो एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश में हो रही काट–छांट के सबंध में कोई भी स्पष्टीकरण अंकित नहीं किया गया तथा अपीलाधीन आदेश के सिजरा में हरफूल के भाई जाहारिया के नाम को भी अवैध रूप से काटा गया था तथा काट–छांट पर अधीनस्थ न्यायालय के इनीशियल हस्ताक्षर भी नहीं है लिहाजा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश अवैध है तथा काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। हरफूल एवं उसकी पत्नी भीमा का सबसे नददीकी वारिस एवं उत्तराधिकारी नथोली था। कलावती हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हरफूल एवं भीमा का वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं थी। लिहाजा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश एक अवैध आदेश है तथा अवैध आदेश को किसी भी समय आक्षेपित एवं निरस्त करवाया जा सकता है तथा अवैध नामान्तकरण आदेश को आक्षेपित करने में म्याद का बिन्दू आडे नहीं आता है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश की आड में रैस्पोडेन्ट संख्या–2 ने स्व0 कलावती से अपीलान्ट की बैक पर दिनांक 22.4.2006 को अवैध रूप से अपीलाधीन विवादित आराजी में से 1/2 हिस्से का हक त्याग करवा लिया था अर्सा करीव एक माह पूर्व रैस्पोडेन्ट संख्या–2 ने अपीलान्टस को विवादित आराजी से बेदखल करने की तथा आईन्दा काश्त नहीं करने की धमकी दी थी तथा धमकी से व्यथित होकर अपीलांट ने अपीलाधीन विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करवाया तब प्रथम बार अवैध अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश की जानकारी हुई थी तथा अपीलांन्ट ने अविलम्ब स्वत्व उद्घोषणा हेतु प्रकरण उनवानी महेन्द्र बनाम लालमती न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि विचाराधीन है। देरी को क्षमा करने के लिये प्रथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 657 निरस्त किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को अपीलाधीन पत्रावली वाद पत्र उनवानी महेन्द्र बनाम लालमती बगैरा में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ द्वारा पारित होने वाले निर्णय व डिक्री के मुताबिक नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 80 सम्बत 2043 से 2046 ग्राम निधेराखुर्द्द, नकल नामान्तकरण संख्या 657 बांके ग्राम निधेराखुर्द्द, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 245 सम्बत 2063 से 2066 ग्राम निधेराखुर्द्द, फोटोप्रति आधार कार्ड महेन्द्रसिंह, माताप्रसाद, प्रमाणित प्रति आदेशिका दिनांक 2.8.2017 से 18.6.2018 तक उनवानी महेन्द्रसिंह बनाम लालमती वगैरा नम्बरी 66/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र उनवानी महेन्द्रसिंह बनाम लालमती वगैरा नम्बरी 66/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ पेश किये हैं।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट ने एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 3लगा06 की ओर से श्री सन्तोष कुमार गुर्जर एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 657 भीमा के निधन के बाद खोला गया था जिसमें कॉलम संख्या–9 में नथोली पुत्र जाहरिया के पक्ष में नामान्तकरण भरा गया था जो कि सही था लेकिन अवैध रूप से नथोली पुत्र जाहरिया का नाम काट दिया गया तथा उसके बाद कलावती वेवा प्रभू जो कि नथोली की भाभी थी के नाम अवैध रूप से अपीलान्ट एवं नथोली की बैक पर स्वीकार कर दिया गया। कलावती वेवा प्रभू भीमा एवं हरफूल की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी भी श्रेणी की वारिस उत्तराधिकारी नहीं थी भीमा के निधन के समय भीमा के हिस्से की उक्त कृषि भूमि के

Scanned by CamScanner

लिये भीमा के पति हरफूल का भतीजा नथोली ही सबसे नजदीकी वारिस एवं उत्तराधिकारी था लिहाजा अपीलाधीन नामान्तकरण तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम के तहत नियम–1 निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिये गये नियमों के अनुसार न्यायसंगत होगा। अपीलाधीन नामान्तकरण में भीमा का बिना औलाद फौत होना शिजरा में अंकित है तथा वास्तविकता में भी है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन विवादित आराजी भीमा के पति हरफूल के वारिस नथोली जो कि हरफूल का भतीजा था के पक्ष में न्याय संगत होनी चाहिऐ थी लेकिन कलावती जो कि हरफूल की वारिस नहीं थी के पक्ष में विवादित आराजी का भरा गया नामान्तकरण अवैध है लिहाजा काबिल खारिजी के है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील नामान्तकरण संख्या 657 दिनांक 28.4.1986 के विरूद्व अपील 32 साल बाद पेश की गई है जो म्याद वाहर है। उक्त आराजीयात के बावत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सैपऊ में दिनांक 26.7.2017 को धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट का दावा संख्या 66/2017 उनवानी महेन्द्रसिंह वगैरा बनाम लालमति वगैरा विचाराधीन है। उक्त बाद के साथ अपीलान्ट ने प्रा0पत्र 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया जिसमें स्थगन आदेश ता फैसला मुकद्वमा मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति व रहन वय के बावत निर्णित हो चुका है जिससे उक्त राजस्व रिकार्ड में स्थगन आदेश से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उक्त अपील दिनांक 6.10.2017 को अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की गई है जबकि इससे पहले मूल नियमित वाद दिनांक 26.7.2017 को घोषणा बावत किया गया जिससे स्पष्ट है कि विवादित नामान्तकरण की जानकारी थी तथा जानकारी से भी नामान्तकरण की म्याद एक माह की अपील प्रस्तुत करने की है जो करीव दो माह 15 दिवस के प्रस्तुत की गई है जो म्याद वाहर है तथा चलने योग्य नहीं है। काबिल खारिजी के है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भीमा का तर्का सही रूप से उसके गोद लिये पुत्र के वारिस को प्राप्त हुआ। जव जायदाद के बावत नियमित वाद पक्षकारान के मध्य उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही से पहले का विचाराधीन हो तो पक्षकारों के मध्य विवाद का अतिंम निपटारा नियमित वाद के अनुसार होगा। क्योंकि मामला विवादित है तथा नामान्तकरण की कार्यवाही फिसिकल प्रौसीडिग्स है जिसमें स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी 1998 पेज 254, आर आर डी 1999 पेज 232, आर आर डी 1997 पेज 350 की न्यायिक नजीरें पेश कर अपील अपीलान्टस खारिज फरमाई जाने की प्रार्थना की।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

हमने उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 657 म्याद बाहर है। दिनांक 28.04.1986 के नामान्तकरण की अपील 6.10.2017 को अर्थात 32 वर्ष पश्चात की गई है। इतनी अवधि बाद नामान्तकरण परिवर्तन से जटिलताऐं एंव वादकरण की बहुलता उत्पन्न होंगी। नामान्तकरण वित्तीय कार्यवाही है इसके माध्यम से अधिकारों का

Scanned by CamScanner

सृजन नहीं होता। उभयपक्षों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त विवादित आराजी से सम्बधित एक राजस्व वाद संख्या 66/2017 उनवानी महेन्द्रसिंह वगैरा बनाम लालमति वगैरा बावत स्वत्व घोषणा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सैपऊ में उभयपक्षो के मध्य विचाराधीन है। अपीलान्ट नियमित वाद से राहत प्राप्त कर सकते है। प्रश्नगत नामान्तकरण आदेश में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं पाते। अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्टस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner